



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2292]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 23, 2012/अग्रहायण 2, 1934

No. 2292]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 23, 2012/AGRAHAYANA 2, 1934

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2012

का.आ. 2775(अ).—विध्वंसक कीट और नाशीजीव अधिनियम, 1914 (1914 का 2) के

खण्ड 3 के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद-द्वारा वनस्पति संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती हैं :-

1. लघु शीर्ष और आरंभ — (1) इस आदेश को वनस्पति संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (द्वितीय संशोधन) आदेश, 2012 कहा जाएगा ।
(2) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।
2. "हवाईपत्तन" शीर्षक के अंतर्गत वनस्पति संगरोध (भारत में आयात का विनियमन), आदेश 2003 की अनुसूची । में क्रम संख्या 13 के बाद और उससे संबंधित प्रवृष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रवृष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :-

"14 कोयम्बटूर
15 बागडोगरा" ।

3. वनस्पति संगरोध (भारत में आयात का विनियमन), आदेश 2003 में अनुसूची 11 में क्रम संख्या 61 के बाद और उससे संबंधित कॉलम में निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रवृष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:-

| | | | |
|-----------------------------------------------|--------------|----------------------|------------------------------------|
| "62 थार ड्राय पोर्ट आईसीडी सानंद, अहमदाबाद | गुजरात | इनलैण्ड कन्टेनर डिपो | वनस्पति संगरोध केन्द्र, काण्डला |
| 63 आईसीडी लोनी | नई दिल्ली | इनलैण्ड कन्टेनर डिपो | वनस्पति संगरोध केन्द्र, रंगपुरी |

4. वनस्पति संगरोध (भारत में आयात का विनियमन), आदेश 2003 में क्रम संख्या 11 और 16 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रवृष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्

| क्र०सं० | पौध स्पेसीज | पौध सामग्रियों की श्रेणी | उद्गम देश | पादप स्वच्छता प्रमाणपत्र में शामिल किए जाने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त घोषणा | आयात की विशिष्ट स्थिति |
|---------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| "11 | चावल (ओरिजा साटिवा) | (i) बुआई के लिए बीज | (i) निम्नलिखित से मुक्त : (क) ग्रेनरी विविल (सिटोफिलस ग्रेनरी) (ख) शीथ ब्राउन रॉट (स्यूडोमोनस प्यूसकोवेजीने) (ग) सीडलिंग रॉट (स्यूडोमोनस ग्लूमे) (घ) बैक्टेरिया हलो ब्लाइट (स्यूडोमोनस सरिन्जे पीवी ओराइजे) (ड.) संगरोध खरपतवार बीज | पूरी रात बीज को भिगोना और 10 मिनट तक 52 डिग्री सेटिग्रेट पर गर्म जल से उपचार | (क) नई बीज विकास नीति (एनपीएसडी), 1988 के प्रावधानों के अनुसार कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय का अनुमोदन (ख) निदेशक, एनपीपीजीआर, नई दिल्ली / निदेशक, चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद द्वारा सिफारिश पर्यवेक्षण मानीटरी और परीक्षण के अधीन |
| 16 | गेहूं (ट्रिटीकुम एपीपी) | (i) बुआई के लिए बीज | (i) निम्नलिखित से मुक्त : (क) डवारफ बंट (टिल्लोटिया कनट्रवरसा) (ख) इयरगोट (कलाविसेप्स पुरपुरिअ) (ग) स्पीक रॉट (स्यूडोमोनस एट्राफेसिएनस) (घ) ग्रेनरी विविल (सिटोफिलस ग्रेनरी) (ड.) संगरोध खरपतवार बीज | | (क) नई बीज विकास नीति (एनपीएसडी), 1988 के प्रावधानों के अनुसार कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय का अनुमोदन (ख) निदेशक, एनपीपीजीआर, नई दिल्ली / निदेशक, गेहूं अनुसंधान निदेशालय, करनाल द्वारा सिफारिश पर्यवेक्षण मानीटरी और परीक्षण के अधीन |

5. अनुसूची VI का संशोधन— वनस्पति संगरोध (भारत में आयात का विनियमन), आदेश 2003 की अनुसूची VI का संशोधन में —

(i) कॉलम (4) में खपत हेतु सब्जी के संबंध में प्रविष्टि (iii) के सामने कॉलम 3 में "असपारेगस ओफिसिनैलस (एस्पारेगस)" के संबंध में क्रम संख्या 38 के सामने मद (i) कॉलम (5) कॉलम (6) में उनसे संबंधित प्रविष्टि के बाद क्रमशः निम्नलिखित मदों और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाए, नामतः

